08 08 2023

एम.जे.सी.आर. क 399/23

राज्य द्वारा कोई नहीं।

आवेदक टाबल पटैल पिता पूरनलाल पटैल, निवासी–देवरीकलॉ, पोस्ट खोबी, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर म0प्र0 की ओर से श्री संजीव कटारे, अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली केसडायरी की प्रतीक्षा/आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र करेली की ओर से अपराध कमांक 653/2023 अतर्गत **धारा 279, 337, 338 भादवि व 184 मो0व्ही0एक्ट** की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्रस्तुत की गई।

पत्रावली उक्त आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत की गई।

राज्य की ओर से कोई नहीं होने से आवेदन पर श्री संजीव कटारे अधिवक्ता को सुना गया।

केसडायरी का अवलोकन किया गया।

केसडायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरक्षी केंद्र करेली द्वारा अपराध क. 653/2023 अंतर्गत **धारा 279, 337, 338 भादवि व 184 मो0व्ही0एक्ट** में **वाहन बजाज डिस्कवर कंपनी की मोटरसाईकिल क0 एमपी 49 एमडी 8890 को** मय असल दस्तावेज के जप्त किया गया है।

केसडायरी एवं दस्तावेज के अवलोकन से उक्त वाहन आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना दर्शित होता है इस प्रकार आवेदक उक्त वाहन का स्वामी होना दर्शित होता है। अन्य किसी व्यक्ति की ओर से जप्त संपत्ति का दावा नहीं किया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण के निराकरण तक जप्त संपत्ति रखे रखने का कोई आधार नहीं होकर आवदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने का भी कोई आधार नही है। जप्त संपत्ति अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने के संबंध में **न्यायदृष्टांत सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरूद्व गुजरात राज्य (2002) 10 एससीसी 283** में दिये दिशा निर्देश अवलोकनीय है।

फलत आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/सुपुर्दगीदार रूपये **1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये)** का सुपुर्दगीनामा इस आशय का प्रस्तुत करे कि वह प्रकरण के निराकरण तक जप्तशुदा संपत्ति के

08/08/2023

स्वरूप में परिवर्तन, परिवर्धन एवं हस्तांतरण न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं करेगा तथा जप्तशुदा संपत्ति के नष्ट होने की दशा में न्यायालय को सूचित करेगा, न्यायालय द्वारा आदेशित करने पर स्वंय के व्यय पर उक्त संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा व न्यायालय द्वारा समय–समय पर अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा तो उक्ताशय का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को उक्त संपत्ति को प्रार्थी के व्यय से उक्त वर्णित जप्त संपत्ति के विभिन्न ऐंगल से छायाचित्र खिचाने के उपरांत **मय असल दस्तावेज** के **मैकेनिकल जांच** उपरांत पूर्णतः अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जावे तथा छायाचित्र संबंधित न्यायालय को अविलंब प्रेषित किया जावे।

आवेदक/सुपुर्दगीदार को निर्देशित किया जाता है कि वह सुपुर्दगीनामें में अपना मोबाईल नंबर/ई–मेल एड्रेस/व्हाटसॲप नंबर का उल्लेख करें जिससे साक्ष्य के दौरान उसकी तामीली उक्त माध्यम से करवाई जा सकें।

आदेश संबंधित अधिवक्ता को अवगत कराया जावे।

केसडायरी पावती लेकर वापिस लोटाई जावे।

आदेश सी.आई.एस. में अविलंब अपलोड किया जावे।

पत्रावली सुपुर्दगीनामा आने पर पेश हो अथवा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर संलग्न किया जावे।

08/08/2023

अश्विन परमार

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गाडरवारा जिला नरसिंहपुर